

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज।

प्रेस विज्ञप्ति-

पत्रांक-1324/एसएलएसए-23/2016 दिनांकित 07 सितम्बर 2020.

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22 बी के अन्तर्गत स्थाई लोक अदालतों का गठन हुआ है। स्थाई लोक अदालतों में यात्रियों अथवा माल को वायु, सड़क, या जलमार्ग से ले जाने के लिये परिवहन सेवायें, डाक, तार या दूरभाषा सेवा, विद्युत प्रकाश या जल की आपूर्ति, सफाई प्रणाली, स्कूल, रियल एस्टेट, चिकित्सालय अथवा दवाखाने, इंश्योरेन्स सेवाओं को जनोपयोगी सेवायें घोषित किया गया है। उक्त के बावत शासनादेश संख्या 02/2018/661/सात-न्याय-7-2018-47/2002 न्याय अनुभाग-7(क.नि.) लखनऊ दिनांकित 30/01/2018 के क्रम में तृतीय चरण में गठित स्थाई लोक अदालतों हेतु सेवानिवृत्त कार्मिकों के संविदा के आधार पर निम्नलिखित रिक्त पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्रम.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	नियत मानदेय
01	अशुलिपिक	01	9000/-रुपये
01	पेशकार	01	9000/- रुपये
02	चपरासी	01	7000/- रुपये

इच्छुक एवं अर्ह आवेदक अपना आवेदन दिनांक 10/02/2025 तक द्वारा उचित माध्यम/पंजीकृत डाक से कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय, कासगंज में प्रेषित कर सकते हैं। अंतिम तिथि 10/02/2025 के समय सायं 05:00 बजे के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।


नोट:-

- 01- सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने विभाग से सेवानिवृत्त होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।
- 02- उपर्युक्त पदों हेतु केवल दीवानी न्यायालयों/क्लैक्ट्रेट न्यायालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का ही आवेदन स्वीकार किया जायेगा।
- 03- सेवानिवृत्त कर्मचारी की आयु 65 वर्ष से कम हो।
- 04- आवेदक आवेदन पत्र के साथ स्वः पते लिखे दो लिफाफे मय 22/- रु. के डांक टिकिट के साथ संलग्न करें।

आवेदन का प्रारूप

- 1-आवेदित पद का नाम..... पासपोर्ट साइज का फोटो
- 2-आवेदक का नाम.....
- 3-पिता का नाम.....
- 4-शैक्षणिक योग्यता.....
- 5-स्थायी पता.....
- 6-जन्म तिथि.....
- 7-गृह जनपद.....
- 8-पत्र व्यवहार का पूर्ण पता एवं मोबाइल नं०.....
- 9-आधार संख्या-.....
- 10- सेवानिवृत्त का विवरण:-
 - 01- सेवानिवृत्त की तिथि.....
 - 02-विभाग का नाम.....
 - 03- पद का नाम.....

दिनांक..... आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर


अपर जिला जज/सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
कासगंज।

प्रतिलिपि-

जिला सूचना अधिकारी, कासगंज।

1. अमर उजाला
2. दैनिक जागरण
3. हिन्दुस्तान